मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल--462004

1189
क्रमांक GAD/34/0004/2024-GAD-8-01(GAD) भोपाल,दिनांक 01/07/2024

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

संचालनालय
नगर तथा ग्राम निवेश
आवक क्र. ......
दिनांक ......
शाखा ...... विधि

विषयः— न्यायालयीन प्रकरणों में शासन का पक्ष समर्थन प्रभावशाली तरीके से करने हेतु संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के संबंध में।

राज्य शासन के विरूद्ध दायर किए जाने वाले कई न्यायालयीन प्रकरणों में शासन के विभिन्न विभागों/कार्यालयों के अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया जाता है। इन प्रकरणों में याचिकाकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय से चाहा गया अनुतोष (Relief) एवं याचिका की मुख्य विषय वस्तु प्रायः किसी एक विभाग अथवा कार्यालय से संबंधित होती है परन्तु अन्य विभाग/कार्यालय भी पक्षकार होते है। नीति, नियम एवं वित्तीय विषयों पर दायर अधिकांश याचिकाओ मे संबंधित प्रशासकीय विभाग/कार्यालय के साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग तथा वित्त विभाग को भी पक्षकार बनाया जाता है।

2/ उक्त स्थिति में न्यायालय के समक्ष शासन का पक्ष समर्थन प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने के लिए कृपया निम्नानुसार कार्यवाही की जाए:—

(क) याचिका का मुख्य विषय जिस विभाग/कार्यालय से संबंधित है एवं जिसके विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है उस विभाग/कार्यालय द्वारा प्रथमतः प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाए एवं पक्ष समर्थन हेतु आवश्यक टीप/अभिलेखों की प्रतियाँ प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए।

(ख) याचिका मे यदि अन्य प्रतिवादी विभागो/कार्यालयों से संबंधित कोई बिन्दु हो जिनकी जानकारी जवाबदावे में शामिल करना आवश्यक हो तब मुख्य विभाग द्वारा अन्य प्रतिवादी विभागों/कार्यालयों से संबंधित बिन्दुओं पर जानकारी प्राप्त कर जवाबदावे में शामिल करवाई जाए।

(ग) जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग अथवा वित्त विभाग द्वारा जारी किसी नीति, नियम, निर्देश के संबंध में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर मुख्य विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार वित्त विभाग अथवा सामान्य प्रशासन विभाग से शीघ्रतापूर्वक मार्गदर्शन/अभिमत प्राप्त कर लिया जाए। [illegible] बिन्दु पर मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर [illegible] विभाग [illegible] मार्गदर्शन/अभिमत [illegible] कर [illegible] जवाब प्रस्तुत किया जाए।

निरन्तर 2

3/ अतः अनुरोध है कि सभी विभाग/कार्यालय, न्यायालयीन प्रकरणों में उपरोक्तानुसार आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करें एवं अन्य विभागों/कार्यालयों द्वारा वांछित टीप/अभिलेख/जानकारी/अभिमत उन्हें अतिशीघ्र उपलब्ध कराएं ताकि न्यायालयीन प्रकरणों में राज्य शासन का पक्ष समर्थन प्रभावशाली तरीके से किया जा सके।

4/ कृपया इन निर्देशों से आपके सभी अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए पालन सुनिश्चित किया जावे।

(मनीष रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

1190
पृ. कमांक GAD/34/0004/2024-GAD-8-01(GAD) भोपाल,दिनांक 01/7/2024
प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर।
3. रजिस्ट्रार, म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर/इन्दौर।
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, भोपाल।
5. अध्यक्ष कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल।
6. अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
8. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय भोपाल।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव लोकायुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल।
11. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर।
12. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
13. सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
14. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
15. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
16. आयुक्त जन संपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
17. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
18. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश ग्वालियर/ इन्दौर।
19. अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (समस्त कक्ष) मंत्रालय, भोपाल।
20. संयुक्त आयुक्त लिटिगेशन एवं समन्वय जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश,मध्य प्रदेश, भोपाल

''कचनार'' ई–5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी,हबीबगंज पुलिस थाना के पास,भोपाल–462016
E-mail: mptownplan@mp.gov.in/Phone: 0755 2427091, Fax - 0755 2427097

पृ.कमांक 3248 / M-932(परिपत्र) / आर.–699(न्या.प्र.समन्व.नि.)/नग्रानि/2022–24 भोपाल,दिनांक 26 /07/2024

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय मध्य प्रदेश की ओर शासन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए न्यायालयीन प्रकरणों में राज्य शासन का पक्ष समर्थन प्रभावशाली रीति से किये जाने हेतु अग्रेषित ।
2. विभागीय वेबसाईट प्रदर्शित किये जाने हेतु.

(विष्णु खरे)
संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश, भोपाल